न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 131/2017

1. श्रीमती प्रेम देवी धर्मपत्नी श्री रामजीलाल पुत्री स्व. श्री मन्ना उम्र 45 वर्ष
2. श्रीमती सन्तरा देवी धर्मपत्नी श्री हनुमान पुत्री स्व. श्री मन्ना उम्र–38 वर्ष जाति रैगर निवासीयान ग्राम दहमीकलां, हाल ग्राम पालडी मीणा आगरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. नाथी देवी धर्मपत्नी श्री छीतरमल पुत्री स्व0 श्री मन्ना जाति रैगर निवासी ग्राम नरैना, तहसील सांभर, जिला जयपुर।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री मन्ना जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजेश कुमार पुत्र श्री सुवालाल तथाकथित दत्तक पुत्र स्व. श्री छीतरमल जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील सांगानेर दिनांक 10.05.2017 बाबत नामान्तकरण संख्या 860 ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

निर्णय दिनांकः 29.11.2017

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 10.05.2017 जिससे नामान्तरकरण संख्या 860 ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634 व 636 कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 हैक्टेयर भूमि में स्व छीतरमल पुत्र स्व मन्नालाल के 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण नाथी देवी पत्नी श्री छीतरमल जाति रैगर निवासी ग्राम नरैना तहसील सांभर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.06.2017 को प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पाडेन्ट संख्या–4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी दिनांक 26.09.2017 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 26.10.2017 स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक

10.05.2017 नामान्तकरण संख्या 860 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634 व 636 कुल किता 6 कुल रकबा 3.88 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार अपीलान्टस व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता थे। विवादित आराजी भूमि के खातेदार मन्ना पुत्र भूरा का सन् 1992 में स्वर्गवास हो चुका है जिससे अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलान्टस को जवाब सबुत व सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 स्व0 मन्ना की पुत्रीयां है जो हिन्दु उत्तराधिकार नियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है। अपीलान्टस संख्या 1 व 2 व रेस्पाडेन्ट संखया 1 के नाम तस्दीक किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमविरूद्व जाकर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है। नामान्तकरण अधीन ग्राम पचायत में भी पेश नहीं हुआ। अपीलान्ट्स व रेस्पाडेन्ट के भाई स्व छीतरमल का स्वर्गवास 09.04.1995 को हो गया स्व. छीतरमल के कोई औलाद नहीं थी तथा ना ही उन्होंने किसी को गोद लिया व ना ही छीतरमल ने अपनी कोई वसीयत लिखी थी। इसलिए स्व. छीतरमल के हिस्से की भूमि के वारिसान अपीलान्ट्स व रेस्पाडेन्ट है। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 ने भी स्व. छीतरकल का तथाकथित दत्तक पुत्र बनकर छीतरमल के हिस्से की 1/4 भूमि रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी परिवर्तित करवा ली। लेकिन रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत दस्तावेज पेश कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि स्व. छीतरमल के वारिसान अपीलान्ट भी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 860 दिनांक 10.05.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनरथ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर भरा जाकर स्व. छीतरमल के जायन्दा बहन के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपील अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा या अधिकार स्पष्ट हो। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की और उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. छीतरमल के विधिसम्मत वारिसान की जांच किए बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि रेस्पाडेन्ट संख्या 3 स्व. छीतरमल का दत्तक पुत्र है इस संबंध में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को जानकारी होते हुए भी रेस्पाडेन्ट संख्या 4 से मिलीभगत कर नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 18.05.2012 अनुसार अपीलाधीन भूमि के लिए अधीनस्थ न्यायालय को छीतर व मन्ना के विधिक वारिसान की जांच कर निर्णय

पारित करने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर स्व0 छीतरमल के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण उसके वारिसान रेस्पाडेन्ट संख्या 3 के नाम तस्दीक किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। अपीलांट यदि वादग्रस्त आराजी में अपना किसी प्रकार का हक, अधिकार मानते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्य 860 ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण स्व छीतरमल के फोत होने पर विरासत के आधार पर जायन्दा बहन रेस्पाडेन्ट संख्या–1 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.05.2017 को स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट यह साबित नहीं कर पाये है कि वह वादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार से अपना हक व अधिकार रखते है। वैसे भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। अपील अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने हक अधिकार के बिन्दु पर कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू का निर्णय दिनांक 10.05.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 860 ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर तस्दीक किया गया यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तकरण निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अति. कलक्टर–प्रथम,
जयपुर